

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक-12
(पीठासीन अधिकारी-कु.आकांक्षा सक्सेना)

नेशनल लोक अदालत की तिथि-11-02-2023

1. संबंधित न्यायालय का नाम :- (कु.आकांक्षा सक्सेना) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
2. आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 2832/2022
3. पक्षकारों के नाम :- छ०ग० राज्य विरुद्ध हीरामनी व अन्य

अधिनिर्णय/आदेश

प्रकरण में अभियुक्तगण श्रीमती हीरामनी, सुरेन्द्र कुमार उर्फ बबलू, श्रीमती बाबी, अशोक यादव, अनोज कुमार यादव, मनोज कुमार यादव सभी निवासी-सोनपुरकला, थाना-अंबिकापुर, जिला-सरगुजा छ.ग. के विरुद्ध धारा-147, 148, 294, 506, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अभियोग है। प्रकरण में प्रार्थी/आहत कौशल्या एवं विनोद यादव से स्वेच्छया राजीनामा किये जाने से अभियुक्तगण श्रीमती हीरामनी, सुरेन्द्र कुमार उर्फ बबलू, श्रीमती बाबी, अशोक यादव, अनोज कुमार यादव, मनोज कुमार यादव को उपरोक्त धारा-147, 148, 294, 506, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में दोषमुक्त किया गया। अभियुक्तगण के नियमित जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जसशुदा संपत्ति एक बांस का डण्डा लंबाई चार फिट नियमानुसार नष्ट किया जावे।

पीठासीन अधिकारी

sd/-
सामाजिक कार्यकर्ता

sd/-
अधिवक्ता सदस्य

sd/-
(कु.आकांक्षा सक्सेना)
खण्डपीठ क्रमांक-12
जिला न्यायालय अंबिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ०ग०)